

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-3822/37-1-2015-2(13)/2015
लखनऊ: दिनांक 18 सितम्बर, 2015

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा निम्नलिखित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों/संयुक्त निदेशकों को, उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये उनके नाम के सम्मुख कालम-5 में उल्लिखित स्थान/पद पर तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

क्र०	अधिकारी का नाम/पदनाम	ज्ये०क्र०	नवीन तैनाती
1	2	3	5
1	डा० अजय कान्त कुलश्रेष्ठ, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, औरैया	384	संयुक्त निदेशक, फारमेटर, बी०पी०संस्थान, लखनऊ (स्वानुरोध पर)
2	डा० अमरेन्द्र कुमार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, कन्नौज	491	संयुक्त निदेशक, मानकीकरण, बी०पी०संस्थान, लखनऊ
3	डा० डबल सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बदायूँ	541	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर

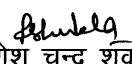
2- सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करे।

दया शंकर सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या- 3822 (1)/37-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक(प्रशा० एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- निदेशक (रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- संयुक्त निदेशक(प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड-2 पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक (प्र०एवंवि०), पशुपालन।
- 5- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशक(प्र०एवंवि०), पशुपालन।
- 6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकार/कोषाधिकारी द्वारा निदेशक(प्र०एवंवि०), पशुपालन।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक (प्र०एवंवि०), पशुपालन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द शुक्ल)
अनु सचिव।

कार्यालय, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: 5842 /स्था0-1/एक-क/15(241)/2013-14 दिनांक:- 18.09.2015

शासनादेश संख्या-3822/37-1-2015-2(13)/2015, दि0 18 सितम्बर, 2015 की
पृष्ठांकन प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मण्डलायुक्त, कानपुर/लखनऊ/बरेली/सहारनपुर।
2. जिलाधिकारी, औरैया/लखनऊ/कन्नौज/बदायूं/मुजफ्फरनगर।
3. कैम्प कार्यालय, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, प्रधान कार्यालय।
4. कैम्प कार्यालय, निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, प्रधान कार्यालय।
5. कैम्प कार्यालय, संयुक्त निदेशक(प्रशासन), मुख्यालय।
6. अपर निदेशक ग्रेड-2, पशु पालन विभाग, कानपुर/लखनऊ/बरेली/सहारनपुर।
7. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, औरैया/ लखनऊ/ कन्नौज/ बदायूं/ मुजफ्फरनगर।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, औरैया/ लखनऊ/ कन्नौज/ बदायूं/ मुजफ्फरनगर।
9. संयुक्त निदेशक, फरमेंटर/मानकीकरण, बी0पी0 संस्थान, लखनऊ।
10. प्रशासनिक अधिकारी, स्था0अनु0-3/प्रविष्टि सेल, मुख्यालय।
11. वित्त नियन्त्रक, प्रधान कार्यालय।
12. प्रमुख सचिव, पशुधन उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासन के उक्त संदर्भित शासनादेश दि0 18.09.2015 के संदर्भ में।
13. वैयक्तिक पत्रावली हेतु।

(नेबू लाल)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)